नवभारत टाइम्स । एनसीआर । रविवार, 21 जून 2020

LET TRUTH PREVAIL

BENNETT, COLEMAN & CO.LTD ● ESTABLISHED 1838
EPAPER.TIMESOFINDIA.COM

TIMES PROPERTY
YOUR REALTY COMPANION SINCE 1995
CONSUMER CONNECT INITIATIVE

शॉपिंग मॉल्स संभल कर चल रहे

न्यू नॉर्मल के दौर में सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। इस दिशा में मॉल्स की ओर से विशेष पहल किए जा रहे हैं

A.K. Tiwary

कोविड -19 ने निश्चित रूप से जीवन को तो प्रभावित किया है। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जो इससे बचा हो। रिटेल और मनोरंजन पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। विशेष रूप से संगठित रिटेलिंग जैसे शॉपिंग मॉल के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। अचानक से एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं, तो मॉल के मालिकों के लिए यह एक कठिन काम होगा कि वे खरीदारी के लिए दुकानदारों के बीच विश्वास पैदा करें। लॉकडाउन को हटाने और न्यू नार्मल की तरफ कदम बढ़ाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों का दौर भी शुरू हो गया है और सरकार के इस फैसले के बाद मॉल को सख्त उपायों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है।

ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों ने सावधानीपूर्वक मॉल में जाना भी शुरू कर दिया है। नोएडा के रहने वाले मोहन प्रसाद (27) अपने लिए शॉर्ट्स खरीदने के लिए नोएडा में ग्रेट इंडिया प्लेस का दौरा किया, उन्होंने कहा कि उन्हें शॉर्ट्स की एक जोड़ी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे मॉल से खरीदने की कोशिश करनी चाहिए और इसके साथ ही यह भी अनुभव हो सकेगा कि महामारी के दौरान उन्हें इन चीजों को कैसे फेस करना है। उनके अनुसार, यह मॉल में खरीदारी करने के लिए सुरक्षित है क्योंकि भीड़ कम है और सड़क की दुकाने पहले की तुलना में व्यवस्थित दिखाई दीं।

गौड़ ग्रुप के एमडी और एक शॉपिंग मॉल के ओनर मनोज गौड़ कहते हैं कि हमने अपने गौर सिटी मॉल में सभी आवश्यक सावधानी बरती है और मॉल में आने वाली भीड़ और दुकानदारों को संभालने के लिए अपने कर्मचारी तैयार किए हैं। बिना मास्क के किसी को भी मॉल में प्रवेश करने और एंट्री प्वाइंट पर थर्मल चेकिंग की इजाजत नहीं है। मॉल के अंदर हर समय मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रत्येक मंजिल पर और मॉल के अंदर हर कोने में, प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर लगाए जाते हैं। साथ ही, हर घंटे फर्श, लिफ्ट की साफ सफाई की जाती है। दुकानदारों को कहा गया है कि वे सामाजिक सुरक्षा के नियमों का पालन करें। दो व्यक्तियों के बीच संपर्क को कम करने के लिए संपर्क रहित भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गौड़ ग्रुप के एमडी और एक शॉपिंग मॉल के ओनर मनोज गौड़ कहते हैं कि हमने अपने गौर सिटी मॉल में सभी आवश्यक सावधानी बरती है और मॉल में आने वाली भीड़ और दुकानदारों को संभालने के लिए अपने कर्मचारी तैयार किए हैं। बिना मास्क के किसी को भी मॉल में प्रवेश करने और एंट्री प्वाइंट पर थर्मल चेकिंग की इजाजत नहीं है। मॉल के अंदर हर समय मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रत्येक मंजिल पर और मॉल के अंदर हर कोने में, प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर लगाए जाते हैं। साथ ही, हर घंटे फर्श, लिफ्ट की साफ सफाई की जाती है। दुकानदारों को कहा गया है कि वे सामाजिक सुरक्षा के नियमों का पालन करें। दो व्यक्तियों के बीच संपर्क को कम करने के लिए संपर्क रहित भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है।